26 जुलाई 2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे हैदराबाद में आयोजित

प्राधिकरण की 119वीं बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थितः

अध्यक्षः	श्री देवाशीष पण्डा
पूर्णकालिक सदस्यः	श्री के. गणेश
पूर्णकालिक सदस्यः	श्री प्रमोद कुमार अरोड़ा
पूर्णकालिक सदस्यः	श्रीमती एस. एन. राजेश्वरी
पूर्णकालिक सदस्यः	श्री राकेश जोशी
अंशकालिक सदस्यः	श्री शुचीन्द्र मिश्र

अनुपस्थिति की अनुमतिः

अंशकालिक सदस्यः	सीए (डा.) देवाशीष मित्रा

साथ ही, उपस्थितः

पदनामित अधिकारीः	श्री जी. आर. सूर्यकुमार
बोर्ड सचिवालयः	श्रीमती बी. पद्मजा
	श्रीमती सी. फ्लोरी मूर्ति

अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने श्रीमती टी. एल. अलमेलु, भूतपूर्व पूर्णकालिक सदस्य, जो 6 मई 2022 को सेवानिवृत्त हुईं तथा श्री अमित अग्रवाल, भूतपूर्व अंशकालिक सदस्य जो प्राधिकरण में 3 जुलाई 2022 तक रहे, द्वारा प्राधिकरण की चर्चाओं में किये गये मूल्यवान योगदान को अभिलेखबद्ध किया। उन्होंने श्री शुचीन्द्र मिश्र, अपर सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय का स्वागत किया जो अधिसूचना दिनांक 4 जुलाई 2022 के अनुसार भारत सरकार द्वारा प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति के बाद पहली बार बैठक में भाग ले रहे थे। यह जानने के बाद कि अपेक्षित गणपूर्ति (कोरम) उपस्थित है, अध्यक्ष महोदय ने बैठक का प्रारंभ किया।

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को सभी स्वास्थ्य बीमा, प्रायः समस्त साधारण बीमा और अधिकांश जीवन बीमा उत्पादों के लिए यूज़ एण्ड फाइल प्रक्रिया के विस्तार, प्रधान मंत्री

जीवन ज्योति बीमा योजना और फसल बीमा योजनाओं के लिए लागू शोधन-क्षमता मानदंडों में छूट सहित, हाल की विनियामक पहलों के संबंध में संक्षेप में सूचित किया। वर्ष 2047 तक `सबके लिए बीमा' की परिदृष्टि को साकार करने में नवोन्मेषण को प्रोत्साहित करने और प्रौद्योगिकी को अपनाने के साथ ही, पालिसीधारकों के लिए उपलब्ध विकल्पों में वृद्धि करने के लिए बाजार में नये बीमाकर्ताओं के प्रवेश को सुसाध्य बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। विनियामक विवरणियों को युक्तियुक्त बनाने में उठाये गये कदमों और `व्यवसाय करने की सुगमता' को बढ़ाने में की गई अन्य पहलों के बारे में सविस्तार बताया गया। अध्यक्ष महोदय ने आबादी के सेवा-अप्राप्त और अल्प सेवा प्राप्त खंडों तक बेहतर ढंग से पहुँचने के लिए राज्य सरकार की सक्रिय संबद्धता के साथ क्षेत्र-विशिष्ट कार्यनीतियाँ बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

तदुपरांत, कार्यसूची की निम्नलिखित मदों पर विचार किया गया।

4. 16 मार्च 2022 से 30 जून 2022 तक सदस्यों के द्वारा की गई विदेश यात्राओं का विवरण

प्राधिकरण के द्वारा उक्त विवरण पर ध्यान दिया गया।

7. सहायकों की पदोन्नति - 2022

7.1 यह प्रस्तुत किया गया कि `सहायकों की पदोन्नति - 2022' विषय सहित एक परिपत्र कार्यसूची नोट उसमें किये गये संकल्प के अनुमोदन की अपेक्षा करते हुए परिचालित किया गया। प्राधिकरण के सभी सदस्यों ने उपर्युक्त परिचालित संकल्प के लिए अपनी सहमति दी।

7.2 परिपत्र संकल्प दिनांक 10.5.2022 अर्थात् *"संकल्प किया गया कि `सहायकों की पदोन्नति - 2022' संबंधी परिपत्र कार्यसूची नोट संदर्भः 7/2022 दिनांक 9 मई 2022 में पैरा सं. 12(क) और 12(ख) पर रखे गये प्रस्तावों का अनुमोदन परिचालन के द्वारा किया गया"* को अंगीकृत किया गया।

7.3 प्राधिकरण ने उक्त परिपत्र कार्यसूची मद और उसपर अंगीकृत किये गये संकल्प पर ध्यान दिया।

8. विभागों का विलय और पुनर्नामकरण

8.1 यह प्रस्तुत किया गया कि "विभागों का विलयन और पुनर्नामकरण" के संबंध में एक परिपत्र नोट उसमें किये गये प्रस्ताव के अनुमोदन की अपेक्षा करते हुए परिचालित किया गया। प्राधिकरण के सभी सदस्यों ने उपर्युक्त परिपत्र संकल्प पर अपनी सहमति दी।

8.2 परिपत्र संकल्प दिनांक 8.6.2022 को अंगीकृत किया गया, अर्थात् *"संकल्प किया गया कि परिपत्र कार्यसूची नोट संदर्भः 8/2022 दिनांक 8 जून 2022 में पैरा सं. 4(क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) पर रखे गये 'विभागों के विलय और पुनर्नामकरण' संबंधी प्रस्तावों का अनुमोदन परिचालन के द्वारा किया गया"।*

8.3 प्राधिकरण ने उक्त परिपत्र कार्यसूची मद और उस पर अंगीकृत संकल्प पर ध्यान दिया।

13. निवेश - मास्टर परिपत्र में संशोधन

13.1 (1) बैंकों के द्वारा दीर्घावधि बांड - बुनियादी संरचना और वहनीय आवास का वित्तपोषण; (2) पूर्व के बीमा अधिनियम के उपबंधों के लाभांश मानदंड बहाल किये जाएँ; (3) म्युचुअल फंडों में निवेश; (4) इन्विट और आरईआईटी के कर्ज और यूनिटों के लिए अलग सीमा; (5) एटी1 बांडों के लिए सुझाव दिया गया; (6) ईक्विटी विनिमय व्यापारित निधियों के वर्गीकरण के लिए लाभांश मानदंड; तथा (7) बीएसएफआई क्षेत्र की एक्सपोज़र सीमा बढ़ाने के लिए बीमाकर्ताओं के अनुरोध- के संबंध में निवेशों संबंधी मास्टर परिपत्र में प्रस्तावित संशोधनों पर एक कार्यसूची मद प्रस्तुत की गई।

13.2 आवश्यक विविधीकरण सुनिश्चित करने की आवश्यकता, निवेशों के किसी विशिष्ट वर्ग में संकेन्द्रण से बचाव, बुनियादी संरचना से संबंधित निवेशों के सुसाध्यीकरण तथा बीमाकर्ताओं के निवेशों की नियमित निगरानी को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए सदस्यों के साथ कार्यसूची की मद पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। इस बात पर भी जोर दिया गया कि निवेशों के क्षेत्र में बीमाकर्ताओं को उपलब्ध विकल्पों में वृद्धि, पालिसीधारकों को दिये जानेवाले प्रतिलाभों में सुधार लाने के लिए अधिक सक्रिय निवेश की कार्यनीतियों को अपनाने हेतु बीमाकर्ताओं को प्रोत्साहित करेगी।

13.3 प्राधिकरण ने उचित विचार-विमर्श के उपरांत, (i) कार्यसूची की मद में किये गये प्रस्तावों के लिए, तथा (ii) परिपत्र दिनांक 29 अप्रैल 2022 हेतु कार्योत्तर स्वीकृति के लिए अनुमोदन प्रदान किया।

15. स्टाफ संख्या का पूर्वानुमान - 5 वर्ष

15.1 2026 तक स्टाफ संख्या के पूर्वानुमानों के संबंध में एक कार्यसूची मद प्रस्तुत की गई जहाँ स्टाफ की कुल संख्या का पूर्वानुमान 402 पर किया गया। पूर्वानुमानित स्टाफ संख्या को एक चरणबद्ध और क्रमिक तरीके से प्राप्त करने का प्रस्ताव किया गया जहाँ प्रवेश-स्तरीय सीधी भर्तियाँ केवल सहायक प्रबंधक ग्रेड और वरिष्ठ सहायक/सहायक ग्रेड के रन-आफ़ तथा नियमित पदोन्नतियों में की जाएँगी। सहायक प्रबंधक ग्रेड में आईटी और अनुसंधान धाराएँ (स्ट्रीम्स) प्रारंभ करने तथा बीमांकिक, वित्त, विधि, आईटी, अनुसंधान धाराओं में से प्रत्येक के लिए 10% के आबंटन तथा शेष 50% का आबंटन सामान्य धारा के लिए करने की आवश्यकता पर चर्चा की गई। चरण-II (वर्णनात्मक) में धारा-विशिष्ट प्रश्नपत्र प्रारंभ करते हुए परीक्षा के स्वरूप में प्रस्तावित परिवर्तन प्रस्तुत किये गये।

15.2 प्राधिकरण ने उचित विचार-विमर्श के बाद, कार्यसूची की मद के अंतर्गत प्रस्तावित रूप में स्टाफ संख्या के पूर्वानुमानों, सहायक प्रबंधकों की भर्ती और पदोन्नतियों के दृष्टिकोण का अनुमोदन किया।

17. श्री एन. एम. बेहेरा, महाप्रबंधक की भुवनेश्वर स्थित बीमा लोकपाल कार्यालय में प्रतिनियुक्ति

17.1 श्री एन. एम. बेहेरा, महाप्रबंधक को तीन वर्ष की अवधि के लिए बीमा लोकपाल कार्यालय, भुवनेश्वर में प्रतिनियुक्त किया गया था और वे 19 मई 2022 को प्रत्यावर्तन के लिए नियत थे। बीमा लोकपाल कार्यालय, भुवनेश्वर ने श्री एन. एम. बेहेरा की प्रतिनियुक्ति चार महीने की अवधि के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया, जिसे मान लिया गया।

17.2 प्राधिकरण ने उक्त कार्यसूची मद का अनुसमर्थन किया।

18. वित्तीय वर्ष 2021-22 में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्तियों के संबंध में स्थिति नोट

18.1 आईआरडीएआई स्टाफ (अधिकारी और अन्य कर्मचारी) विनियम, 2016 के विनियम 5(1) के अनुसार, यह प्रस्तुत किया गया कि सीधी भर्ती के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान किसी भी ग्रेड में कोई नई नियुक्ति नहीं की गई।

18.2 प्राधिकरण ने उक्त कार्यसूची मद पर ध्यान दिया।

25. भारत में मरीन कार्गो अपवर्जित क्षेत्र समूह (एमसीईटी पूल) का निर्माण

25.1 जीआईसी आरई ने रूस-उक्रेन युद्ध को ध्यान में रखते हुए प्रचलित अनुशास्तियों (सैंक्शन्स) के कारण 2 जून 2022 से मरीन कार्गो शिपमेंटों के लिए पुनर्बीमा समर्थन से बेलारूस गणतंत्र, उक्रेन और/या रूसी फेडरेशन के क्षेत्रों को अपवर्जित किया। यह प्रस्तुत किया गया कि उक्त अपवर्जित क्षेत्रों से उर्वरक शिपमेंटों को बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए

समूह प्रबंधक (पूल मैनेजर) के रूप में जीआईसी आरई के साथ एमसीईटी पूल बनाया गया है।

25.2 प्राधिकरण ने उक्त कार्यसूची मद पर ध्यान दिया।

26. हितधारक परामर्श के लिए विनियमों का प्रारूप बनाने और प्रकाशित करने के लिए सिद्धांततः अनुमोदन

26.1 (क) *बीमा विधि (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित होने परः* यह प्रस्तुत किया गया कि वित्तीय सेवाएँ विभाग (डीएफएस) बीमा अधिनियम, 1938 और आईआरडीए अधिनियम, 1999 के संशोधन के लिए बीमा विधि (संशोधन) विधेयक, 2022 तैयार करने की प्रक्रिया में है। प्राधिकरण ने इस विषय में वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं। संसद के अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की सिफारिशों के अनुसार, किसी अधिनियम के अंतर्गत नियम/विनियम अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद यथाशीघ्र बनाये जाने चाहिए और किसी भी स्थिति में यह अवधि 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ख) *वर्तमान विनियमों की समीक्षाः* जीवन बीमा परिषद और साधारण बीमा परिषद द्वारा गठित विभिन्न समितियों/कार्यदलों ने वर्तमान विनियमों में संशोधन करने की सिफारिश की है। साथ ही, वर्तमान आर्थिक अपेक्षा के आधार पर बीमा उद्योग की आवश्यकता पूरी करने के लिए सभी वर्तमान विनियमों की समीक्षा करने की आवश्यकता है, जो इस क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ाएगा, व्यापन और व्यवसाय करने की सुगमता में इजाफा करेगा।

26.2 प्राधिकरण ने उचित विचार-विमर्श के उपरांत, कार्यसूची की मद में प्रस्तावित रूप में विनियमों का प्रारूप बनाने और हितधारकों की टिप्पणियों के लिए प्रकाशित करने के लिए सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान किया।

27. विनियमों के निर्माण, परामर्श और निर्गम के लिए संशोधित व्यवस्था

27.1 मौजूदा प्रक्रिया दिनांक 27 सितंबर 2016 पर एक कार्यसूची प्रस्तुत की गई जिसके द्वारा विनियम बनाने, परामर्श करने और जारी करने के लिए व्यवस्था पर एक संकल्पना नोट अंगीकृत किया गया जो विनियम निर्माण की प्रक्रिया को युक्तियुक्त बनाने के लिए संशोधनों की अपेक्षा करता है। प्रस्तावित संशोधन, विनियम बनाने के लिए समय-सीमाओं को कम करता है।

27.2 प्राधिकरण ने उपयुक्त चर्चाओं के बाद, उक्त कार्यसूची मद का अनुमोदन किया।

30. धनशोधन निवारण और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने (एएमएल/सीएफटी) संबंधी मास्टर दिशानिर्देश

30.1 जीवन, साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के लिए लागू एएमएल/सीएफटी विषयों संबंधी दिशानिर्देशों का समेकन करने और उन्हें अद्यतन करने के संबंध में एक कार्यसूची मद प्रस्तुत की गई। प्रस्तावित दिशानिर्देश पालिसी के निर्गम के समय साधारण और स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के लिए `अपने ग्राहक को जानिए' (केवाईसी) की अपेक्षाओं का विस्तार करते हैं।

33. युवा व्यवसायी कार्यक्रम (वाईपीपी)

33.1 सात विशिष्ट विनिर्दिष्ट क्षेत्रों, अर्थात् वित्त और निवेश, बीमांकिक, विधि, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, ग्रामीण प्रबंध, और संचार में अर्हताप्राप्त और अभिप्रेरित युवा व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए युवा व्यवसायी कार्यक्रम (वाईपीपी) नीति जहाँ मासिक स्टाइपेंड रु. 75,000/- है, के संशोधन पर एक कार्यसूची मद प्रस्तुत की गई । नियुक्ति की अवधि 1 वर्ष के लिए है जिसे दो बार 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

33.2 प्राधिकरण ने उक्त कार्यसूची मद का अनुसमर्थन किया।

35. बीमा सलाहकार समिति (आईएसी) का पुनर्गठन

35.1 अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन के साथ 4 मई 2022 से आईएसी में दो नये सदस्यों को सम्मिलित करने के संबंध में एक कार्यसूची मद प्रस्तुत की गई थी।

35.2 प्राधिकरण ने उक्त कार्यसूची मद का अनुसमर्थन किया।

36. ईक्विटी व्युत्पन्नियों संबंधी दिशानिर्देश और संशोधित/अद्यतन निवेश - मास्टर परिपत्र का निर्गम - के संबंध में

36.1 बचाव (हेजिंग) के एकमात्र प्रयोजन के लिए बीमाकर्ताओं को ईक्विटी व्युत्पन्नियों में एक्सपोज़र रखने की अनुमति देने के संबंध में मूल्यांकन प्रारंभ करने तथा निवेशों से संबंधित मास्टर परिपत्र की समीक्षा करने की आवश्यकता पर एक कार्यसूची मद प्रस्तुत की गई।

36.2 प्राधिकरण ने उक्त कार्यसूची मद पर ध्यान दिया।

सभी सदस्यों के प्रति आभार-प्रदर्शन के साथ बैठक समाप्त हुई।

अध्यक्ष